न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील/एलआर/3441/2004/सवाई माधोपुर

आम जनता ग्राम रवासा तहसील बोली जरिये :-

1- नैनू पुत्र गेंदिया
2- चौथमल पुत्र मांग्या
3- लक्ष्मीनारायण पुत्र कल्याण
4- प्यार सिंह पुत्र श्योनाथ
5- हीरालाल पुत्र रामनाथ (हीरालाल उर्फ मनभावन)
समस्त जाति गर्जरान निवासी ग्राम रवासा तहसील बोली जिला सवाई माधोपुर।

.....अपीलार्थीगण

बनाम

1- लड्डूलाल पुत्र मनफूल
2- बद्रीलाल पुत्र कन्हैयालाल
समस्त जाति गुर्जरान निवासी ग्राम रवासा तहसील बोली जिला सवाई माधोपुर।
3- आवंटन सलाहकार समिति जरिये तहसीलदार, बोली जिला सवाई माधोपुर।

....प्रत्यर्थीगण

एकल-पीठ
श्री पुरूषोत्तम लाल सैनी, सदस्य

उपस्थितः
श्री अजीत सिंह राठौड़ अपीलार्थी
श्री ओ.पी. भट्ट एवं मो0 इकबाल अधिवक्ता प्रत्यर्थी।

निर्णय

दिनांकः 11-12-2024

यह द्वितीय अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर द्वारा प्रकरण संख्या 117/2003 में पारित निर्णय दिनांक 24-5-2004 के विरूद्ध पेश की गई है।

2- प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थीगण ने जिला कलक्टर, सवाई माधोपुर के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 (4)

आवंटन नियम 1965 विरूद्ध आवंटन कमेटी (तहसीलदार), बोली के आदेश दिनांक 08-8-65 प्रस्तुत किया कि आवंटन कमेटी ने प्रत्यर्थी सं0 1 के पक्ष में जो आवंटन किया है, वह विधि विरूद्ध है इसलिए उक्त आवंटन खारिज किया जावे। दिनांक 08-8-1965 को ग्राम रवॉसा तहसील बोली के खसरा नंबर 461 की भूमि में से प्रत्यर्थी सं0-1 को 6 बीघा 10 बिस्वा भूमि का आवंटन किया गया था क्योंकि उक्त आवंटित भूमि सार्वजनिक उपयोग की तलाई किस्म की भूमि है। अतः सार्वजनिक उपयोग की तलाई भूमि को आवंटन किया जाना विधि विरूद्ध है। प्रत्यर्थी सं0-1 ने जवाब में बताया कि दिनांक 08-8-65 को भूमि आवंटित की गई थी, तब से 1998 तक अप्रार्थी द्वारा निरंतर आवंटित भूमि पर काश्त की जाती रही है। उसको गैर खातेदारी बाद में वर्ष 1996 में खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है। विवादित भूमि की किस्म तलाई दुर्भावनापूर्ण व राजस्व रिकार्ड की स्थिति के विपरीत किया गया मिथ्या कथन है। जबकि अपीलार्थी द्वारा मात्र पर्चो के आधार पर विवादित भूमि को तलाई बताया जा रहा है। आंवटित भूमि सिवायचक बंजड़-2 काबिल काश्त थी। जिसको आवंटन सलाहकार समिति द्वारा सभी पहलुओं पर जांच करने के उपरान्त ही मुझ अप्रार्थी के पक्ष में नियमानुसार भूमि का आवंटन किया गया है। लगभग 37-38 वर्ष पूर्व में आवंटित भूमि पर मुझ अप्रार्थी को 1996 में खातेदारी अधिकारी भी मिल चुके हैं व उक्त भूमि का बेचान भी दीगर व्यक्ति को किया जा चुका है, जिसको इस प्रकरण में पक्षकार भी नहीं बनाया गया है। परीक्षण न्यायालय ने निर्णय दिनांक 02-6-2003 द्वारा प्रार्थनापत्र खारिज कर दिया तथा प्रत्यर्थी (अप्रार्थी सं0-1) को किया गया आवंटन आदेश दिनांक 08-8-1965 को बहाल कर दिया। उक्त निर्णय दिनांक 02-6-2003 के विरूद्ध अपीलार्थी ने राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर के समक्ष अपील पेश की जिन्होंने निर्णय दिनांक 24-5-2004 द्वारा अपील निरस्त कर दी। उक्त निर्णय से असंतुष्ट होकर अपीलार्थीगण ने यह अपील इस न्यायालय के समक्ष पेश की है।

3- उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4- विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने अपील-मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित भूमि आवंटन के समय राजस्व

रिकार्ड में बंजड़ अंकित है लेकिन आवंटन के समय अर्थात संवत 2022–2003 के राजस्व अभिलेख खसरा गिरदावरी संवत 2023 के कॉलम सं0 41 के विशेष विवरण में यह अंकित है कि भंवरलाल 9 बीघा, लड्डू 6 बीधा एवं मोती पुत्र गुलाबचन्द 10 बीघा उक्त नम्बर में तलाई है। इस प्रकार भूमि मवेशियों के पानी पीने की तलाई भूमि है जो सार्वजनकि उपयोग की भूमि है तथा ग्राम रवासा के पास के तीन ग्रामों के मवेशी उक्त तलाई में ही पानी पीते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि आवंटी को आवंटन के अगले वर्ष में सम्पूर्ण भूमि को काश्त किया जाना बताना होता है किन्तु प्रत्यर्थी सं0–1 ने आवंटन के 10 वर्षो तक अर्थात संवत 2022 से 2031 तक भूमि पर कोई काश्त नहीं की इसलिए भूमि खसरा गिरदावरी संवत 2022 से 2031 तक बंजड़ भूमि अंकित है। उक्त भूमि तलाई किस्म की है जिस पर धारा 16 आर.टी.एक्ट के तहत आवंटन नहीं किया जा सकता। उनका यह भी कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मौका रिपोर्ट दिनांक 18–5–2003 में भी खसरा नंबर 461 मौके पर पड़त होने एवं बरसाती पानी एकत्रित होने से उक्त भूमि की आकृति तलाई है। उक्त समस्त तथ्यों एवं रिकार्ड पर उपलब्ध साक्ष्य को नजरंदाज कर आक्षेपित निर्णय पारित किये हैं, जो निरस्त किये जाने योग्य हैं। अतः अपील स्वीकार की जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय निरस्त किये जावें।

5– इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 ने कथन किया कि आंवटन के समय राजस्व रिकार्ड में भूमि की किस्म बंजड़ अंकित थी। आवंटन सलाहकार समिति ने आवंटन की पूर्ण प्रक्रिया का पालन करते हुए अप्रार्थी सं0 1 को विवादित भूमि का आवंटन किया है। मौका रिपोर्ट के आधार पर केवल विवादित भूमि को तलाई नहीं माना जा सकता। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन कर अप्रार्थी सं01 के आवंटन को बहाल रखने का आदेश दिया है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष है जिनमें इस न्यायालय के द्वारा अपील के जरिये हस्तक्षेप किये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः अपील सारहीन होने से खारिज योग्य है।

6– हमनें उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

7– पत्रावली के अवलोकन ज्ञात होता है कि अप्रार्थी सं0 1 को वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 461 में से 6 बीघा 10 बिस्वा भूमि का आवंटन दिनांक 08–8–1965 को किया गया है। अपीलार्थीगण द्वारा उक्त आवंटन के विरूद्ध प्रार्थना पत्र दिनांक 24–8–2001 को न्यायालय जिला कलक्टर, सवाई माधोपुर के समक्ष लगभग 36 वर्ष बाद पेश किया गया है। प्रकरण के अवलोकन से यह भी ज्ञात होता है कि वर्ष 1997 में प्रत्यर्थी सं0 1 को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके थे तथा उनके द्वारा उक्त भूमि का बेचान वर्ष 1998 में प्रत्यर्थी सं0–2 बद्रीलाल पुत्र कन्हैयालाल को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र किया जा चुका है। यहां यह उल्लेखनीय है कि प्रत्यर्थी सं0 1 लड्डूलाल पुत्र मनफूल को विवादित भूमि खसरा नंबर 261 मेंसे 6 बीघा 10 बिस्वा भूमि आवंटित की गई थी तथा विधिवत कब्जा भी संभला दिया गया था एवं विधिवत कब्जे पाये जाने के पश्चात् भूमि लम्बे अरसे के बाद आवंटन निरस्त किये जाने का प्रार्थना पत्र पेश किया गया है, जो चलने योग्य नहीं है। लड्डूलाल पुत्र मनफूल को आवंटन होने के पश्चात् उसके नाम खातेदारी भी दर्ज रिकार्ड हो चुकी थी जिससे यह प्रकट होता है कि लड्डूलाल पुत्र मनफूल ही विधिवत रूप से विवादित भूमि का कब्जा पाने का हकदार है। परीक्षण न्यायालय एवं अपीलीय न्यायालय ने अप्रार्थी सं0–1 को किये गये आवंटन आदेश 08–8–65 को बहाल रखा है। अपीलार्थीगण द्वारा इस न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई नवीन तथ्य एवं दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसके आधार पर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष में हस्तक्षेप किया जा सके। अतः अपील सारहीन होने से खारिज योग्य है।

8– परिणामतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत हस्तगत् अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है।

9– अधीनस्थ न्यायालयों को निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भेजी जावे।

निर्णय की खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पुरूषोत्तम लाल सैनी)
सदस्य